बागवानी

वसुन्धरा राजे
मुख्यमंत्री, राजस्थान

किसान की उन्नति से ही हमारे पूरे प्रदेश की प्रगति संभव है। हमने किसान भाइयों के लिए राज्य में कई महत्त्वाकांक्षी योजनाएं शुरू की हैं। आप सभी उनका फायदा उठायें व परम्परागत खेती के साथ ही खेती के नये तरीकों व तकनीकों को अपनाएं।

हरित क्रांति, पीत क्रांति, श्वेत क्रांति व नीली क्रांति अब तक हो चुकी हैं, अब हमारा सपना राज्य में सदाबहार क्रांति (Evergreen Revolution) लाने का है। इसके लिए हमारी सरकार हर कदम पर किसानों के साथ है।

प्रभुलाल सैनी
कृषि मंत्री, राजस्थान

राज्य के विकास में हमारा मेहनतकश किसान एक अहम कड़ी है। राजस्थान सरकार किसानों के प्रति समर्पित है। हम चाहते हैं कि हमारे किसान भाई कम पानी, कम लागत, अधिक उत्पादन, उच्च तकनीक, संरक्षित खेती, अधिक मूल्य वाली फसलें उगाना आदि नवाचारों को अपनाएं ताकि उनकी आय बढ़े। इस प्रकाशन में हम आपको खेती के इन्हीं तरीकों व तकनीकों की जानकारी दे रहे हैं। इन्हें आप सभी अपनाएं और आगे बढ़ें।

राजस्थान में बागवानी विकास

फसलों के उत्पादन में स्थायित्व, फसल विविधिकरण, इकाई क्षेत्र से अधिक आमदनी, पर्यावरण संरक्षण व रोजगार सृजन आदि में विशेष योगदान को देखते हुए कृषि क्षेत्र में बागवानी का महत्त्व बढ़ता जा रहा है। राजस्थान में भी उद्यानिकी की अपार संभावनाएं हैं। उद्यानिकी फसलों, फूलों, फलों, सब्जियां, मसालें, औषधीय एवं सुगंधित पौधे आदि की खेती से कृषकों की आय में लगातार वृद्धि हो रही है। कृषि क्षेत्र की संभावित चुनौतियों का मुकाबला करने व कृषकों की आमदनी में वृद्धि के लिये बागवानी क्षेत्र को राज्य में बड़े स्तर पर लिए जाने के प्रयास किये जा रहे हैं। इस हेतु अलग–अलग क्षेत्र विशेष की जलवायु की अनुकूलता के आधार पर आधुनिक फसल उत्पादन पद्धतियों को बढ़ावा देने की रणनीति पर कार्य किया जा रहा है। इससे राज्य में उद्यान विभाग की स्थापना के पश्चात् निरंतर क्षेत्रफल, उत्पादन एवं उत्पादकता में उत्तरोत्तर वृद्धि दर्ज की जा रही है।

बागवानी विकास योजनाएं

राष्ट्रीय बागवानी मिशन

मिशन के तहत बागवानी फसलों–फल, सब्जियां, मसाले, फूल, औषधीय एवं सुगंधीय पौधों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न कार्यक्रम क्रियान्वित किये जा रहे हैं। योजना के अन्तर्गत क्षेत्र विशेष की कृषि जलवायुवीय स्थितियों में तुलनात्मक रूप से सर्वाधिक उपयुक्त एवं संभावना वाली बागवानी फसलों को वर्तमान एवं भविष्य की मांग को देखते हुये सघन रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है। बागवानी फसलों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने एवं आनुवांशिक उन्नयन के लिए उच्च प्रौद्योगिकियों को अपनाकर मुख्य रूप से उत्पादन, उत्पादकता व फसल उत्पाद की गुणवत्ता को बढ़ाने तथा फसलोत्तर प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत मुख्य रूप से नये फल बगीचों की स्थापना, पौध रोपण सामग्री का उत्पादन, बीज ढांचागत सुविधाओं का विकास, पुराने बगीचों का जीर्णोद्धार, संरक्षित खेती (ग्रीन हाऊस, शेडनेट हाऊस आदि), जलस्त्रोतों का विकास, समन्वित कीट/व्याधी प्रबन्ध, जैविक खेती, मधुमक्खी पालन, मानव संसाधन विकास कार्यक्रम एवं फसलोत्तर प्रबंध आदि मुख्य गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

बगीचों की स्थापना

क्षेत्र विशेष की अनुकूलता के अनुसार किन्नू, संतरा, अनार, बेलपत्र, मौसमी, नींबू, अमरूद, बेर, आम, पपीता आदि फलों के बगीचे स्थापित करवाये जा रहे हैं। मसालों में मेथी, जीरा, सौंफ, धनिया, लहसुन, तथा फूलों में गुलाब, गेंदा, गुलदाउदी, गैलाडिया आदि के बगीचों की स्थापना करवाई जा रही है।

पौध रोपण सामग्री का उत्पादन

पौध रोपण सामग्री की उत्पादन क्षमता व गुणवत्ता में वृद्धि के लिये हाईटेक नर्सरी, छोटी नर्सरी स्थापना पर अनुदान देय है ।

- हाइटेक नर्सरी की लागत प्रति हैक्टेयर रु.25 लाख निर्धारित की गयी है। एक लाभार्थी अधिकतम 4 हैक्टेयर क्षेत्र में नर्सरी स्थापना हेतु अनुदान प्राप्त कर सकता है। निजी क्षेत्र में हाईटेक नर्सरी स्थापना पर लागत का 40 प्रतिशत अधिकत रु.10 लाख प्रति हैक्टेयर की दर से अधिकतम 4 हैक्टेयर क्षेत्र के लिए रु.40 लाख क्रेडिट लिंक्ड बैक एन्डेड अनुदान देय है। हाई–टेक नर्सरी को उच्च गुणवत्तायुक्त फलों के 50,000 पौधे प्रति हैक्टेयर प्रति वर्ष वानस्पतिक प्रसारण (Vegetative Propagation) विधि से तैयार करने होंगे।
- छोटी नर्सरी की लागत प्रति हैक्टेयर

रु.15 लाख निर्धारित की गयी है। निजी क्षेत्र में एक लाभार्थी को अधिकतम 1 हैक्टेयर क्षेत्र में नर्सरी स्थापना हेतु लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रु.7.50 लाख क्रेडिट लिंक्ड बैक एंडिड अनुदान देय है। नर्सरी को उच्च गुणवत्तायुक्त फलों के रु.25,000 पौधे प्रति हैक्टेयर प्रति वर्ष वानस्पतिक प्रसारण विधि से तैयार करने आवश्यक होंगे।

बीज बुनियादी ढांचा विकास

बीजों के उचित रख–रखाव, भण्डारण तथा पैकेजिंग की सुविधा के लिए बुनियादी ढ़ांचा जैसे– शुष्क प्लेटफार्म, भण्डारण बिन्स, पैकेजिंग यूनिट और इससे संबंधित उपकरण लगाये जाने के लिए सहायता का प्रावधान है। निजी क्षेत्र को क्रेडिट लिंक बैक एंडिड सब्सिडी, जो परियोजना लागत की 50 प्रतिशत अधिकतम रु.100 लाख प्रति लाभार्थी तक होगी, की सहायता देय है।

पुराने बगीचों का जीर्णोद्धार

फल बगीचों में जीर्ण व पुराने पेड़ों को हटाकर इनके स्थान पर नए स्टॉक को पुनः रोपित करके उत्पादकता वृद्धि कार्यक्रम शुरू करने पर लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रु.20,000 प्रति हैक्टेयर, एक लाभार्थी को अधिकतम 2 हैक्टेयर तक अनुदान देय है।

जलस्त्रोतों का विकास

राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अन्तर्गत बागवानी फसलों को जीवन रक्षक सिंचाई सुनिश्चित करने हेतु प्लास्टिक/आरसीसी लाईनिंग के साथ ऑन फार्म पौण्डस/ऑन फार्म वाटर रेजरवायर्स के माध्यम से जलस्त्रोत विकास पर निम्नानुसार अनुदान देय है।

सामुदायिक जल स्त्रोतों का विकास

कृषक समूह द्वारा 10 हैक्टेयर क्षेत्र के कमाण्ड हेतु 100X100X3 मीटर साईज के ऑन फार्म पौण्ड्स/ऑन फार्म वाटर रेजरवायर्स के निर्धारित BIS मापदण्ड की न्यूनतम 500 माईक्रोन प्लास्टिक फिल्म/आर.सी.सी. लाइनिंग से निर्माण पर इकाई लागत रु.20 लाख प्रति इकाई का शत प्रतिशत या अन्य छोटी साइज के जल स्त्रोत निर्माण पर कमान्ड के अनुसार यथाअनुपात अनुदान देय है।

एकल जल स्त्रोत/फार्म पौण्ड

एकल कृषक द्वारा दो हैक्टेयर क्षेत्र के कमांड क्षेत्र के लिये 20 मीटर लम्बाई, 20 मीटर चौड़ाई व 3 मीटर गहराई आकार के फार्म पौण्ड/Dug well BIS मापदण्ड अनुसार 300 माइक्रोन प्लास्टिक फिल्म/आरसीसी लाईनिंग से निर्माण पर इकाई लागत रु.1.50 लाख का 50 प्रतिशत अधिकतम रु.75,000 अनुदान देय है। छोटे आकार के पौण्ड/टैंक के लिए अनुपात आधारित अनुदान देय है।

संरक्षित कृषि

ग्रीन हाऊस एवं शेडनेट हाउस की स्थापना

कृषि जलवायुवीय कारक– तापक्रम, आर्द्रता व सूर्य के प्रकाश को नियंत्रित करके सब्जियों, फूलों व फलों आदि उद्यानिकी फसलों की खेती हेतु ग्रीन हाऊस, शेडनेट हाउस, प्लास्टिक मल्चिंग, लो टनल्स, एन्टी बर्ड नेट व संरक्षित संरचना में अधिक मूल्य वाली सब्जियों एवं फूलों के बीज/पौध रोपण सामग्री के लिये अनुदान देय है।

प्लास्टिक मल्चिंग

उद्यानिकी फसलों में खरपतवार नियन्त्रण, जल के कुशलतम उपयोग एवं फसल उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ाये जाने हेतु प्लास्टिक मल्चिंग के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिये प्लास्टिक मल्च की लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम राशि रु.16,000 प्रति हैक्टेयर की दर से अनुदान देय है।

प्लास्टिक टनल

उद्यानिकी फसलों को शीत के प्रकोप से बचाने हेतु प्लास्टिक टनल के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए कृषक को इस हेतु विभाग द्वारा ऐम्पेनल फर्मस से बागवानी फसलों में

लो–टनल उपयोग करने पर अनुमानित लागत रु.60 प्रति वर्गमीटर या ऐम्पेनल फर्मस की दर दोनों मे से जो भी कम हो, का 50 प्रतिशत अनुदान देय है।

एंटी बर्ड नेट

उद्यानिकी फसलों में पक्षियों के नुकसान को कम करके उत्पादकता बढ़ाये जाने हेतु एंटी बर्ड नेट के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए विभाग द्वारा ऐम्पेनल फार्मस से बागवानी फसलों में एन्टी बर्ड नेट उपयोग करने पर अनुमानित लागत रु.35 प्रति वर्गमीटर या ऐम्पेनल फार्मस की दर दोनों में से जो भी कम हो, का 50 प्रतिशत की दर से अनुदान देय है। एक लाभार्थी को अधिकतम 5000 वर्ग मीटर तक के लिये अनुदान देय है।

समन्वित कीट/पौषक तत्व प्रबंधन को बढ़ावा देना

समन्वित पोषक तत्व प्रबंध (आई.एन.एम.)/समन्वित कीट प्रबंध (आई.पी.एम.) को बढ़ावा देने हेतु लागत का 30 प्रतिशत अधिकतम रु.1200 प्रति हैक्टेयर की दर से प्रति लाभार्थी 4 हैक्टेयर तक अनुदान देय है।

जैविक खेती

जैविक विधी से उत्पादित खाद्य सामग्री की बढ़ती मांग को देखते हुए बागवानी फसलों में जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रु.10000 प्रति हैक्टेयर प्रति लाभार्थी अधिकतम 4 हैक्टेयर क्षेत्र तक तीन वर्षों में 40:30:30 के अनुपात में अनुदान देय है। (प्रथम वर्ष में रु.4000 एवं द्वितीय व तृतीय वर्ष में रु.3000 कार्यक्रम जैविक खेती प्रमाणीकरण से जुड़ा है। जैविक उत्पाद के प्रमाणीकरण हेतु 50 हैक्टेयर के क्लस्टर के लिए रु.5 लाख जो कि प्रथम वर्ष में रु.1.5 लाख द्वितीय वर्ष में रु.1.5 लाख रुपये एवं तृतीय वर्ष में रु.2 लाख अनुदान देय है।

वर्मीकम्पोस्ट इकाईयों की स्थापना

जैविक आदान उत्पादन हेतु 30 फीट X 8 फीट X 2.5 फीट आकार के पक्के निर्माण के साथ वर्मी कम्पोस्ट इकाई की स्थापना हेतु लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रु.50,000 प्रति इकाई आकार अनुसार यथानुपात अनुदान देय है। एच.डी.पी.ई. वर्मी बेड इकाई (12फीट X 4फीट X 2फीट आकार) स्थापना हेतु लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रु.8,000 प्रति इकाई आकार अनुसार यथानुपात अनुदान देय है।

मधुमक्खी पालन

मधुमक्खी प्रजनकों द्वारा उत्पादित मधुमक्खी की श्रेष्ठ कॉलोनियों से मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने हेतु आठ फ्रेमों वाली प्रति कॉलोनी की लागत रु.2,000 एवं मधुमक्खी पालन बॉक्स की लागत रु.2,000 पर लागत का 40 प्रतिशत अनुदान देय है। एक लाभार्थी को अधिकतम 50 कॉलोनी एवं 50 मधुमक्खी बॉक्स अनुदान देय है।

उद्यानिकी में यांत्रिकरण

फसल उत्पादन लागत में कमी व उत्पादकता को बढ़ाये जाने हेतु उद्यानिकी में यांत्रिकरण कार्यक्रम के तहत कृषकों, उत्पादक संघ, कृषक समूह, स्वयं सहायता समूह, महिला कृषक समूह (कम से कम 10 सदस्य) जो बागवानी फसलों की खेती करते हैं, को शक्ति चलित उपकरणों पर अनुदान देय है।

मानव संसाधन विकास कार्यक्रम

इसके तहत कृषकों, फील्ड स्तर के कार्मिकों व अधिकारियों के प्रशिक्षण के कार्यक्रम सम्मिलित हैं।

समन्वित फसलोत्तर प्रबंधन

फसल तुड़ाई उपरांत प्रबंधन में पैकेजिंग, ग्रेडिंग, परिवहन, संसाधन

और पकाई तथा भण्डारण शामिल हैं। ये सुविधाएं बागवानी उत्पादन की विपणनता को बढ़ाने, उत्पाद के मूल्यवर्धन, लाभ को बढ़ाने और नुकसान कम करने के लिए बागवानी फसलों के शीत भण्डारण, परिवहन, विपणन, पैकेजिंग और ग्रेडिंग तथा निर्यात के लिए बुनियादी ढ़ाचें संबंधी सुविधाओं के नेटवर्क की स्थापना को प्रोत्साहित करने हेतु अनुदान देय है। इस के लिए पैक हाउस, समन्वित पैक हाउस स्थापना, प्री–कूलिंग यूनिट, रेफ्रिजरेटेड वेन, शीत भण्डारण इकाइयां, प्राथमिक/चल प्रसंस्करण इकाई, राईपनिंग चेम्बर, कम लागत के प्याज भण्डारण संरचना, कोल्ड स्टोरेज, प्रसंस्करण इकाई, समन्वित कोल्ड चैन सप्लाई सिस्टम आदि परियोजनाओं हेतु उद्यमियों/कृषक /कृषक समूह, सहकारी समितियां, उत्पादक संघ, कम्पनीज, स्वयं सहायता समूह, महिला कृषक समूह आदि को क्रैडिट लिंक बैक एंडेड सब्सिडी के रूप मे सहायता देय है।

वेजीटेबल इनिशियेटिव फॉर अर्बन क्लस्टर

उपभोक्ता को सस्ती एवं गुणवत्तायुक्त सब्जियों की उपलब्धता बनाये रखने एवं कृषकों को उनकी फसल उत्पाद के उचित बाजार भाव हेतु राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत उपयोजना वेजीटेबल इनिशियेटिव फॉर अर्बन क्लस्टर राज्य के जयपुर, सीकर, कोटा, अजमेर व अलवर ज़िलों में क्रियान्वित की जा रही है। योजना के तहत विभिन्न कार्यक्रमों पर अनुदान का प्रावधान है।

राष्ट्रीय बांस मिशन

राष्ट्रीय बांस मिशन के तहत बांसवाड़ा, बारां, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, करौली, प्रतापगढ़, सवाईमाधोपुर, उदयपुर, डूंगरपुर, राजसमंद एवं सिरोही ज़िलों में क्रियान्वित किए जा रहे हैं।

राष्ट्रीय औषधीय पादप मिशन

राष्ट्रीय औषधीय पादप मिशन का मुख्य उद्देश्य आयुष उद्योग को लगातार कच्चे माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए औषधीय पौधों का कृषिकरण करना है। राष्ट्रीय औषधीय पादप मिशन के अन्तर्गत औषधीय पौधों की खेती एवं औषधीय पौधों की नर्सरी की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है।

बागवानी में अभिनव कार्यक्रम

कृषकों की आमदनी में वृद्धि एवं परम्परागत कृषि के विकल्प के रूप में जैतून, स्ट्रॉबेरी, ड्रैगन फ्रूट, अनार, क्यूनोआ उत्पादन हेतु अभिनव कार्यक्रम क्रियान्वित किए जा रहे हैं।

ग्राम
9-11 नवम्बर 2016
जयपुर

उन्नत किसान
ख़ुशहाल राजस्थान

उद्यान निदेशालय, राजस्थान
पंत कृषि भवन, जनपथ, सी–स्कीम, जयपुर 302 005
T: +91 141 2227806 | W: agriculture.rajasthan.gov.in
E: hortiraj_rj@gov.in

अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेन्टर **1800 180 1551**
पर बात करें या अपने पास के कृषि पर्यवेक्षक या अपने ज़िले के
उप निदेशक कृषि या सहायक निदेशक उद्यान विभाग के कार्यालय में सम्पर्क करें

ग्लोबल
राजस्थान
एग्रीटेक मीट
9-11 नवम्बर 2016
जयपुर